<u>कार्यालयः– न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)</u>

––00 <u>विज्ञापन</u> 00––

क्रमांक–1154/दो–11–01/2021, सूरजपुर, दिनांक 22-12-2021

आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि :– दिनांक 22.01.2022 के संध्या 05:00 बजे तक
स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से

कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर स्थापना के अंतर्गत् तृतीय श्रेणी (स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड–तीन) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर का पत्र क्र.–11149/2873/21–ब/छ.ग./2021, रायपुर, दिनांक 25.10.2021 तथा छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13.02.2020 के अनुसार अर्हता प्राप्त सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भारतीय नागरिक से कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर में दिनांक **22.01.2022** के संध्या 5.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. <u>रिक्त पदों का विवरण</u> :–

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अ0ज0जा0					अ0जा0					अ0पि0वर्ग					अनारक्षित पद				
		मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
सहायक ग्रेड–तीन	03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
वाहन चालक	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
आदेशिका वाहक	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
भृत्य/फर्राश	02	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

टीप :–

क. आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।

ख. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

2. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–

स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए

(अ) वेतनमान :– वेतन मैट्रिक्स के लेवल–7 (28700–91300) ग्रेड वेतन 2800/–

(ब) शैक्षणिक योग्यता :–

(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ख) छत्तीगसढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ग) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी0सी0ए0) प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

सहायक ग्रेड–तीन पद के लिए

(अ) वेतनमान :– वेतन मैट्रिक्स के लेवल–4 (5200–20200) ग्रेड वेतन 1900/–

(ब) शैक्षणिक योग्यता :–

(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ख) छत्तीगसढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ग) विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी0सीं0ए0) प्रमाण पत्र के साथ एम0एस0वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

<u>वाहन चालक पद के लिए</u>

(अ) <u>वेतनमान</u> :– वेतन मैट्रिक्स के लेवल–4 (5200–20200) ग्रेड वेतन 1900/–

(ब) <u>शैक्षणिक योग्यता</u> :–

(क) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा 8वीं) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ख) हल्का मोटर यान का वैध अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंस) हो।

<u>आदेशिका वाहक पद के लिए</u>

(अ) <u>वेतनमान</u> :– वेतन मैट्रिक्स के लेवल–3 (5200–20200) ग्रेड वेतन 1800/–

(ब) <u>शैक्षणिक योग्यता</u> :–

(क) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा 8वीं) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ख) सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

<u>भृत्य/फर्राश पद के लिए</u>

(अ) <u>वेतनमान</u> :– वेतन मैट्रिक्स के लेवल–1 (4750–7440) ग्रेड वेतन 1300/–

(ब) <u>शैक्षणिक योग्यता</u> :–

(क) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ख) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

<u>टीप</u> :–यदि आवेदक विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में पेश करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा।

<u>महत्वपूर्ण</u> :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा कर सकते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन भेजें। परीक्षा में

सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

3. <u>आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते :–</u>

(1) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)। अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए, रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब) कोई पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) उम्मीदवार दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक लिए प्रदान की गई है।

(3) छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

4. <u>उच्चतर आयु सीमा में छूट</u> :– निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

4 (एक) (1)–यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

4 (एक) (2)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

4 (एक) (3)– ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>**स्पष्टीकरण**</u> :–छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

4 (एक) (4)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 (एक) (5)– महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उस वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4 (एक) (6)– शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु रीगा गें छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूयित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4 (एक) (7)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा, महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

4 (एक) (8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4 (एक) (9)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

4 (एक) (10)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4 (दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

नोट :–आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

4 (दो) (2)– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ठ खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :–

(1) बिन्दु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु कमांक(एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विकम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतग आयु सीमा में निर्धारित 05 वर्ष की छूट के साथ और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।

(3) उपरोक्त 4 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :–अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

5. **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–**

1. विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः एवं स्पष्ट भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर में **दिनांक 22.01.2022 की संध्या 5:00 बजे तक** पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 22.01.2022...... की संध्या 5:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, **शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र** (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. **नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया :–**

स्टेनोग्राफर हिन्दी तथा सहायक ग्रेड–3 के पद के लिए :–

1. उक्त पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।

आवेदित पद (**स्टेनोग्राफर हिन्दी, सहायक ग्रेड–3**) पर आवेदकों की संख्या अधिक होने पर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर एक पद पर 10 के अनुपात में आवेदकों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु बुलाया जा सकेगा।

हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु :– कौशल परीक्षा–250 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाईप करना होगा।

सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु :– कौशल परीक्षा–125 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाईप करना होगा।

मेरिट सूची :– कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

वाहन चालक के पद हेतु :– वाहन परिचालन में प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा–50 अंकों की होगी। उम्मीदवारों से इस पद पर भर्ती हेतु वाहन परिचालन के संबंध में परीक्षण लिया जावेगा।

मेरिट सूची :– कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य/फर्राश के पद हेतु :– आवेदकों की संख्या आवेदित पद के 15 गुना से अधिक होने पर चयन समिति के निर्णयानुसार साक्षात्कार के अतिरिक्त परीक्षा भी लिया जा सकेगा, जो शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता से संबंधित होगी।

टीप :– स्टेनोग्राफर हिन्दी, सहायक ग्रेड–तीन, वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य/फर्राश के पद हेतु आयोजित परीक्षा में एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पदों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा।

7. **अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी** :–

प्रत्येक आवेदक को चाहिए, कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। **पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।**

8. **अन्य आवश्यक सूचनाएं** :–

A. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर (छ0ग0) को होगा।

B. उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

C. **समस्त पदों हेतु** :– चयनित अभ्यर्थी को **03 वर्ष की परिवीक्षा** अवधि पर नियुक्त किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि पर उन्हें निम्नानुसार स्टाईपेन्ड देय होगा :–

प्रथम वर्ष	–	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,
द्वितीय वर्ष	–	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,
तृतीय वर्ष	–	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे।

परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल 01 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

उनकी नियुक्ति छ0ग0उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्ते तथा आचरण) नियम 2017 के अध्यधीन रहेगा।

D. चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

E. आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से होना चाहिए।

F. प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर (छ0ग0) के वेबसाईट http://districts.ecourts.gov.in/surajpur पर अपलोड की जावेगी। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 05:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

G. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

H. प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् "सूचना के अधिकार अधिनियम" के अंतर्गत चयन प्रकिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

स्थान :– **सूरजपुर,**
दिनांक :– 21/12/2021

(अध्यक्ष) 21/12/2021
चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर,
जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

अनुमोदित
21/12/21
न्यायाधीश
परिवार न्यायालय सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(स्टेनोग्राफर (हिन्दी)/सहायक ग्रेड–तीन/वाहन चालक/आदेशिका वाहक/भृत्य/फर्राश के पद पर नियुक्ति हेतु)

नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्व प्रमाणित चस्पा करें।

प्रति,

न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....

   (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) ....

3. लिंग (संकेतांक) पुरूष– 1, महिला– 2, अन्य– 3 [ ]

4. पिता/पति का नाम ....

5. (अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) ....

....

   (ब) स्थायी पता ....

....

6. (अ) जन्म तिथि (अंको में) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

   (शब्दों में) ....

   (ब) दिनांक 01.01.2021 को आयु [ ] वर्ष [ ] माह [ ] दिन

7. क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है?
   हां/नही (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) [ ]

8. अ. क्या आवेदक छ.ग.शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? [ ]
   हां/नही (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
   यदि हां तो,

   ब. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]

9. अ. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नही
(यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
यदि हां तो,

ब. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत ....

10. क्या आवेदन भूतपूर्व सैनिक है? हां/नही
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की सत्य प्रति संलग्न करें।)

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक ....

12. रोजगार कार्यालय का नाम ....

13. क्या आप विवाहित है? हां/नही

14. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि

15. जीवित बच्चों की संख्या

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णाक

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नही
(यदि हां,तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

18. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. 4.
2. 5.
3. 6.

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक . . . . .

स्थान . . . . . .

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता
मोबाईल नं. एवं ई–मेल